

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोजेन्ट :-



श्री नरपतसिंह भाटी माध्यम राजेन्द्र सांखला,  
301, रामविला, कल्पवृक्ष वाली गली,  
लोहाखान, अजमेर

लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 109/2019

R.C.M.S. No. --2019/00 285

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/09/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोजेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 4/10/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p>	148-19 2019/119
4-10-19	<p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलेक्टर) पाली से चाही गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया गया है।</p> <p>इस न्यायालय द्वारा पत्र लिखकर जिले या उन्हे निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा दायित्व सूचना रेस्टो द्वारा अधि-पत्रावली रा. लो. स. अ. 283/2019/1422 डी 14-8-2019 के जस्टि अपीलांत की अपील के अंतर्गत की जा चुकी है। अपील दायित्व रेस्टो द्वारा अपील के दायित्व सूचना उपलब्ध करा दिए जाने से इस प्रकार से इसी प्रकार की कार्यवाही कोषित नहीं रह जाती है।</p> <p>अपील अपीलांत द्वारा तलब या क्लेक की जाती है। अपील को दायित्व किया जाकर पत्रावली द्वारा फिलाल डेफर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p>	